पीठासीन अधिकारी श्री भागीरथ राम आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी, बालोतरा

मुकदमा नम्बर – 450/2017

प्रार्थीगण :–

1. दाखु देवी पत्नी लालसिंह
2. लालाराम पुत्र प्रभुजी जातियान राजपुरोहित
निवासीयान सराणा तह0 पचपदरा जिला बाडमेर

बनाम

विप्रार्थीगण :–

1. मंगलसिंह पुत्र पुनमाजी
2. जसराज पुत्र पुनमाजी
3. बाबुलाल पुत्र पुनमाजी
4. पुखराज पुत्र पुनमाजी
5. मालमसिंह पुत्र पुनमाजी
6. मोरो देवी बैवा पुनमाजी
7. मोहनसिंह पुत्र जवाहरसिंह
8. मांगीलाल पुत्र जवाहरसिंह
9. चम्पादेवी बैवा जवाहरसिंह
10. बसंती पुत्री बख्तावरसिंह
11. ओमसिंह पुत्र जबरसिंह
12. राजुसिंह पुत्र जबरसिंह
13. मदनसिंह पुत्र जबरसिंह
14. कमला देवी बैवा जबरसिंह
15. मन्जु पुत्री जबरसिंह
16. नगसिंह पुत्र करनाजी
17. आम्बसिंह पुत्र करनाजी
18. किशोरसिंह पुत्र करनाजी
19. रम्भादेवी बैवा करनाजी
20. पाना पुत्री करनाजी जातियान पुरोहित
21. राजस्थान सरकार जरिये भुमिधारक तहसीलदार पचपदरा।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा आर एल आर एक्ट 111,128

आदेश **दिनांक : 26.07.2018**

पत्रावली आज पेश हुई प्रस्तुत प्रकरण में संक्षिप्त मे तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र मे कथन किया है कि प्रार्थीगण का खातेदारी का खेत सरहद मौजा के खेत खसरा न0 1042/474 रकबा 11 बीघा 07 विस्वा, ख0न0 1044/475 रकबा 18 बीघा 06 विस्वा सरहद मौजा सराणा तहसील पचपदरा में स्थित है। विप्रार्थीगण संख्या 01 ता 21 उक्त खातेदारी भूमि के पडोसी है, प्रार्थीगण के खेत प्रार्थीगण एवं विप्रार्थीगण के मध्य सीमा को लेकर विवाद बना रहता है। इस कारण प्रार्थीगण खातेदारी भूमि की सीमाज्ञान करवाकर पत्थरगड्डी पेमाईश एवं नेखमबन्दी करवाना चाहता है। प्रार्थीगण ने पेमाईश एवं नेखमबन्दी करने का निवेदन किया है। प्रार्थी स्वयं उपस्थित प्रार्थीगण के वक्त काश्त प्रार्थीगण व विप्रार्थीगण के मध्य सीमाओ को लेकर विवाद बना रहता है, इस कारण प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमी की पेमाईश एवं नेख्मबन्दी करवाना चाहते है।

सहायक कलेक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

Scanned by CamScanner

विप्रार्थीगण को जरिये सम्मन रजिस्टर्ड दिनांक 28.08.2018 को जारी किया गया। उसके बावजूद भी अनुपस्थित । प्रार्थीगण विवादित भूमि के खातेदार काश्तकार राजस्व रेकार्ड मे दर्ज होने के कारण प्रार्थीगण की दरखास्त स्वीकार किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थीगण की दरखास्त स्वीकार की जाकर विवादित भूमि की पेमाईश एवं नेख्मबन्दी करने हेतु भूमापक कर्ता को नियुक्त किया जाता है। निरीक्षक भू.अ **बालोतरा** को निर्देश दिये जाते है कि न्यायालय से स्थगन आदेश न हो तो वो दोनो पक्षो के रूबरू विवादित भूमि की मौके की स्थिति मे परिवर्तन किये बिना ,मुस्तकील/स्थाई बिन्दु को आधार मानकर सीमाज्ञान करे। प्रार्थीगण व विप्रार्थीगणों की भूमि मौके पर जमाबंदी अनुसार खसरान की भूमि पूरी होने पर ही पत्थर गढी की जावे अन्यथा वर्तमान सीमा ही रखी जावे। नेखमबन्दी कर पालना रिपोर्ट पेश करे वक्त पेमाईश हल्का पटवारी को साथ रखे । तहरीर जारी हो। भू– मापक कर्ता का खर्चा प्रार्थी नियमानुसार अदा करे ।

पत्रावली फैसल सुमार होकर के बाद तामिल के दाखिल दफतर हो ।

उप खण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

सहायक कलेक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

Scanned by CamScanner